न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री अंश दीप, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 05/2018 ::
जीसीएमएस नम्बर :: 2018/00011

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
लालाराम पुत्र वगताजी जाति कुम्हार निवासी नारलाई तहसील देसूरी जिला पाली।		1. ग्राम पंचायत, नारलाई 2. जगदीशप्रसाद (पूर्व सरपंच) पुत्र श्री चम्पालाल जाति ब्राहम्ण निवासी नारलाई तहसील देसूरी जिला पाली (राज.)

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थित :– अधिवक्ता उभयपक्ष अनुपस्थित।

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 26-8-21

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत नारलाई के मिसल संख्या 17/1989–90 प्रस्ताव संख्या 13 दिनांक 5.8.1989 की पालना में जारी पट्टा संख्या 13 दिनांक 21.12.1989 को जारी किया गया उसे निरस्त कराने हेतु पेश की गई है। प्रकरण 27.10.2007 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब कर ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से कोई भी अधिवक्ता उपस्थित नहीं आए तो बहस अधिवक्ता प्रार्थी को सुनने हेतु पत्रावली अवलोकन किया गया। प्रार्थी लालाराम का पत्रावली संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्र देखने पर ध्यान में आया कि प्रार्थी लालाराम दिनांक 21.7.2011 को ही फौत हो चूका था तथा उनके अधिवक्ता द्वारा लालाराम के वारिसान को पक्षकार नियोजित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में लालाराम का दिया हुआ वकालतनामा प्रभाव में नहीं रहा उसकी मृत्यु के साथ समाप्त हो गया क्योंकि उसके कायम मुकाम को न तो रेकर्ड पर लेने हेतु पेश किए गए उनकी ओर से वकालतनामा भी किसी भी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। अप्रार्थी की ओर से उपस्थित वकील को बहस हेतु कहने पर उन्होंने बहस से इनकार किया एवं अप्रार्थी उनके सम्पर्क में नहीं होने की बात कही इसलिए उनकी अनुपस्थिति दर्ज की गई। चूंकि इस न्यायालय के संज्ञान में जैर निगरानी प्रकरण आ जाने तथा प्रार्थी की मृत्यु के आधार पर निगरानी को खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं होने से प्रस्तुत निगरानी में पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर गुणावगुण पर निर्णय किया जाना ही विधिसम्मत एवं न्यायोचित होगा।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया प्रार्थी श्री लालाराम के पक्ष में जैर निगरानी आराजी पूर्व में संग्रह स्थल हेतु अप्रार्थी के पक्ष में तहसीलदार देसूरी द्वारा जरिये आदेश 630 दिनांक 28.5.85 को आंवटन किया गया था। जो पुराने खसरा नंबर 808 में 484 वर्गगज भूमी का किया गया था। उक्त भूमी को बाद में आबादी में परिवर्तित कर दिया जिसके नये खसरा नंबर 11 है उक्त भूमी पर प्रार्थी लगातार काबिज रहा जिसका बाद में अप्रार्थी संख्या 2 जगदीश प्रसाद द्वारा ग्राम पंचायत नारलाई ने जैर निगरानी पट्टा संख्या 13 दिनांक 21.12.1989 प्रस्ताव संख्या 13 दिनांक 05.8.1989 तथा मिसल संख्या 17/1989 में पारित आदेश की पालना में जारी कर करवा दिया जिस समय अप्रार्थी संख्या 2 सरपंच था। राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 की धारा 8(घ) के अनुसार [illegible] धनीय हित होने से अपने स्वयं के नाम पट्टा जारी [illegible] जारी करने की प्रक्रिया में भाग ले सकता है। इस लिए भी [illegible] निरस्तनीय है इस [illegible] के संदर्भ में लालाराम व जगदीश प्रसाद के म[illegible] सिविल न्यायाधीश [illegible] देसूरी में स्थायी निषेधाज्ञा बाबत वाद संख्या 761/1989 बअनवान लालाराम बनाम जगदीश प्रसाद चला जिसके निर्णय दिनांक 24.03.2004 के द्वारा वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:22:15 IST
Reason: SelfAttested

क्रमश.....................2

Ansh
जिला कलेक्टर, पाली

लालाराम के हक में निर्णित हुआ तथा वादी को बेदखल न करने बाबत स्वयं व अपने किसी ऐजेन्ट से भी बदेखल न कराने हेतु आदेश पारित हुआ है तथा प्रकरण में तनकी संख्या 1 पैरा 9 के अनुसार प्रतिवादी स्वयं ने यह स्वीकार किया है कि विवादग्रस्त भूखण्ड पर वादी द्वारा दावा पेश करने के पश्चात कब्जा कर लिया है। अतः वादग्रस्त भूखण्ड पर कब्जा वादी अपना होना सिद्ध कर पाया है। एवं यह तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की गई है। उसके पश्चात सिवील न्यायाधीश (क.ख.) देसूरी के वाद संख्या 110/1993 जगदीश प्रसाद द्वारा लालाराम के विरूद्ध किया गया था जो कब्जा एवं इस्तकरार हक बाबत किया गया। जो वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी अस्वीकार कर खारिज किया गया उक्त वाद खारिज दिनांक 12.11.2017 को किया गया इसी निगरानी में ग्रुप सचिव ग्राम पंचायत नारलाई द्वारा प्रेषित मौका निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार श्री लालाराम का कब्जा मौजूद है। जो 85 फीट गुणा 85 फीट है तथा पड़ोस में ललीता पत्नी शान्तीलाल का प्लॉट है। ग्रुप सचिव ने उसमें भी लालाराम का पुराना कब्जा होना तथा तहसीलदार देसूरी द्वारा उक्त भूखण्ड की सनद जारी करना बताया जो मौजूद है। अप्रार्थी द्वारा सरपंच रहते स्वयं के प्रभावशाली होने से अपने नाम का पट्टा बनवाया है जो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 की धारा 8(घ) तथा राज पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 48(3) व 4 के अनुसार सरंपच का धनीय हित होने से जैर निगरानी पट्टा खारिज योग्य है।

परिणामस्वरूप निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं जैर निगरानी पट्टा संख्या 13 दिनांक 21.12.1989 जो मिसल संख्या 17/1989 तथा प्रस्ताव संख्या 13 दिनांक 05.8.1989 की पालना में जारी किया गया उसे निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत नारलाई को पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 26-8-21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:22:15 IST
Reason: SelfAttested